

**Form No. III****फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत

न्यायालय अति० कलेक्टर चित्तौड़गढ़

मुकाम

चित्तौड़गढ़छीतर वगैराह

बनाम

जगदीश वगैराह

किस्मा मुकदमा

राजस्व अपील

नं०

**018**

सन्

**2017**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
05.04.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। हमने पत्रावली का अवलोकन आद्यौपांत बागौर अवलोकन। अधिवक्ता अपीलांत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 05 जा०दी० का अपील संख्या 017/2017 अनवानी छीतर वगैराह बनाम जगदीश वगैराह अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ प्रस्तुत किया गया जिसे सहवन वश पृथक से राजस्व अपील के रूप में दर्ज रजिस्टर किया गया। मूल अपील संख्या 017/2017 अनवानी छीतर वगैराह बनाम जगदीश वगैराह को निर्णय दिनांक 05.04.2017 से निर्णित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 05 जा०दी० में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 05 जा०दी० में कार्यवाही समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही मूल अपील संख्या 017/2017 अनवानी छीतर वगैराह बनाम जगदीश वगैराह के साथ हम कितना रहे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">- ह० - (रतन कुमार) अतिरिक्त कलेक्टर, (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ 05.04.2021</p>	

